न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 पीलीभीत
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–349/2026

सुनील कुमार आदि **बनाम** सरकार।

नियमित जमानत आदेश

दिनांक 12.03.2026

1. अभियुक्तगण सुनील व सुम्मेर लाल की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 372/2025, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महेन्द्रपाल द्वारा दिनांक 24.10.2025 को समय 19:50 बजे थाना गजरौला में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी कि वह दिनांक 16.10.2025 को दिल्ली में काम करके आया, तो गांव के ही राजीव व इमलिया ने शराब पीकर गंदी गंदी जातिसूचक गालियां दी थी। उक्त राजीव अभी जेल से छूटकर आया है और आपराधिक व्यक्ति है। दिनांक 19.10.2025 को समय लगभग 4 बजे वह घ ार से बाजार सामान लेने जा रहा था, तभी पुलिया पर खाद की दुकान के सामने राजीव व उसका भाई आनंद मिले और उसको गाली देते हुए बोले कि साले धुबेटे उस दिन तू बहुत बाते कर रहा था। उसने कहा क्यों गाली दे रहे हो, इसी बात पर राजीव ने अपने घर से अपने भाई मनोज व पिता सुम्मेर लाल का भी बुला लिया। मनोज हाथ में बंका लेकर आया व सुम्मेर लाल लाठी लेकर आया, तभी राजीव ने मनोज से बंका छीनकर उसके सिर पर जान से मारने की नियत से बार किया, जिससे उसका सिर लहुलुहान हो गया तथा आनन्द, सुनील, मनोज व सुम्मेर लाल, इमलिया ने उसको लातघूसों, लाठी डंडों से जमीन पर गिराकर मारापीटा। सारी घ ाटना खाद की दुकान पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गयी थी। वह तत्काल थाने गया, तो दरोगा जी ने उसको न्यूरिय अस्पताल भेजकर मेडिकल करवाया, परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रत्यक्षीदर्शी साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। वे पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। उक्त मामले में प्रथम सूचना में सभी के द्वारा बंका व लाठी से मारना पीटना बताया है, जबकि मेडिकल में केवल लाठी डंडो की साधारण चोटे आयी है। अतः अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर छोड़ दिया जावे।

4. प्रस्तुत प्रकरण में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के प्राविधानों के तहत वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। थाना हाजा द्वारा वादी को जारी नोटिस का तामीला किस्मदोयम उसकी मां प्रेमवती को कराया गया, परन्तु वादी मुकदमा नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है।

5. विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा बंका से हमला किया गया है। अभियोग अजमानतीय है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर नहीं छोड़ा जाए।

6. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.12 16:32:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. प्रस्तुत मामले में चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार मजरूब महेन्द्र पाल को आयी चोट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की होने दर्शित किया गया है तथा चोट नं. 1 के संबंध में कराये गये एक्सरे रिपोर्ट में कोई बोन इंजरी होना दर्शित नहीं है। अभियुक्तगण को न्यायालय के आदेशानुसार आज तक अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। थानाआख्यानुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास बताया गया है, परन्तु अभियोजन की ओर से इस स्तर पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मात्र आपराधिक इतिहास के आधार पर अभियुक्तगण की जमानत निरस्त नहीं की जा सकती है। एस0सी0/एस0टी0 अपराध की धाराओं को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है व जमानतीय है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अभियुक्तगण प्रत्येक मु0–25,000/–रू0 का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू व निम्न शर्तों के सम्बंध में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाता है :–

1– अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार से दबाब नहीं डालेंगे और न ही उनको किसी प्रकार से डरायेगा व भयभीत करेंगें

3– अभियुक्तगण आरोप विरचन एवं बयान धारा 313 सी0आर0पी0सी0 अंकित किये जाते समय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2
जनपद, पीलीभीत।